प्रायः पूछे गये प्रश्न

माल और सेवा कर

एक राष्ट्र एक कर एक बाजार
जीएसटी

जीएसटी : आईटी/आईटीईएस से संबंधित प्रायः पूछे गये प्रश्न (एफएक्यू)

प्र. 1. जीएसटी में सॉफ्टवेयर को माल या सेवा, क्या माना जाता है?

उत्तर: सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, विशिष्ट रूप से विनिर्माण, संयोजन, उन्नयन, विस्तार, कार्यान्वयन और किसी बौद्धिक सम्पदा अधिकार अस्थाई अंतरण या उपयोग की अनुमति या सेवायें मानी जाती है।

लेकिन, अगर कोई पूर्व–विकसित या पूर्व–डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर किसी भी माध्यम में उपलब्ध कराया जाता है/स्टोरेज (आमतौर पर ऑफ–शेल्फ खरीदा जाता है) में सप्लाई किया जाता है या एन्क्रिप्शन कुंजी के उपयोग के जरिए उपलब्ध कराया जाता है तो उसे शीर्षक 8523 के अंतर्गत वर्गीकृत माल की सप्लाई के रूप में माना जाता है।

प्र. 2. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, विशिष्ट रूप से विनिर्माण, संयोजन, उन्नयन, विस्तार और कार्यान्वयन को सेवा माने जाने से क्या होगा?

उत्तर: पहला यह है कि सेवाओं के लिए लागू सप्लाई के स्थान का नियम सॉफ्टवेयर सेवाओं की सप्लाई की कराधेयता के निर्धारण हेतु लागू होगा। यही नियम किसी बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अस्थाई अंतरण या उपयोग की अनुमति में शामिल सेवाओं की सप्लाई की स्थिति में भी लागू होगा। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर सेवा का सप्लायर कंपोजीशन स्कीम के लिए योग्य नहीं होगा।

प्र. 3. 'ए' एक कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर पार्ट्स का डीलर है जिसका कारोबार एक वर्ष में रु. 8 लाख है; क्या 'ए' को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कराना है?

उत्तर: राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में स्थित प्रत्येक सप्लायर जिसका एक वित्तीय वर्ष में ''कुल कारोबार'' बीस लाख रुपए से अधिक है, उसे जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कारोबार की यह सीमा विशेष श्रेणी राज्य में दस लाख रुपए है। इसलिए 'ए' जिसका ''कुल कारोबार'' एक वर्ष में रु. 8 लाख है, उसे जीएसटी में पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है।

प्र. 4. पंजीकृत व्यक्ति 'बी' कुछ व्यापारियों से सॉफ्टवेयर कोड के छोटे–छोटे भाग प्राप्त करता है जिसे बाद में वह एकीकृत करके एक पैकेज के रूप में अपने क्लाइंट को सप्लाई करता है। इन व्यक्तियों का रु. 5 से 10 लाख तक का छोटा कारोबार है, इसलिए ये जीएसटी में पंजीकृत नहीं हैं। क्या 'बी' पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के संबंध में कोई दायित्व है?

उत्तर: यदि सप्लाई अपंजीकृत सप्लायरों द्वारा की जाती है तो जीएसटी का भुगतान ऐसे प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना है जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(4) के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति है। इसलिए इस मामले में 'बी' इन व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 'बी' रिवर्स चार्ज पर उसके द्वारा भुगतान किए गए इस कर का क्रेडिट ले सकता है।

प्र. 5. आईटी सेवाओं पर कर की दर क्या है?

उत्तर: आईटी सेवाओं पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है।

प्र. 6. क्या सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात पर जीएसटी लगता है?

उत्तर: एसईजेड इकाइयां और एसईजेड डेवलपर्स को सप्लाई और निर्यात जीएसटी में जीरो–रेटेड है। जीरो–रेटिंग का प्रभावी मतलब यह है कि निर्यात पर कोई कर भुगतान नहीं करना है लेकिन निर्यातक/सप्लायर निर्यात के संबंध में उपयोग की गई इनपुट/इनपुट सर्विस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। जीरो–रेटिंग के लिए निर्यातक के पास दो विकल्प उपलब्ध हैं, जो निम्नानुसार है:

1) निर्यात की जाने वाली सप्लाई पर एकीकृत कर का भुगतान करना और सप्लाई का निर्यात करने के बाद भुगतान किए गए कर का रिफंड प्राप्त करना।
2) बॉन्ड/एलयूटी के अधीन सप्लाई का निर्यात करना और ऐसे निर्यात के संबंध में इनपुट और इनपुट सर्विस पर दिए गए कर के रिफंड का दावा करना।

प्र. 7. मैं यह कैसे तय करूं कि मेरे द्वारा प्रदान की गई आईटी सेवाएं सेवाओं के निर्यात के अंतर्गत आती हैं?

उत्तर: उस किसी भी सेवा की सप्लाई को सेवा का निर्यात माना जाता है जहां निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

1) सेवा का सप्लायर भारत में स्थित है;
2) सेवा का प्राप्तकर्ता भारत से बाहर स्थित है;
3) सप्लाई का स्थान भारत से बाहर है;
4) सेवाओं के सप्लायर द्वारा ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुआ है; और
5) सेवा का सप्लायर और सेवा का प्राप्तकर्ता आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 8 की व्याख्या 1 के अनुसार केवल किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के प्रतिष्ठान नहीं हैं।

प्र. 8. मैं आईटी/आईटीईएस सेवाओं की सप्लाई का स्थान कैसे तय करूं?

उत्तर: आईटी/आईटीईएस सेवाओं का स्थान आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12 एवं 13 के अनुसार प्राप्तकर्ता का स्थान है। तथापि, यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत नहीं है और सप्लायर के रिकॉर्ड पर उसका पता उपलब्ध नहीं है तो सप्लाई का स्थान सप्लायर का स्थान माना जाएगा।

प्र. 9. प्राप्तकर्ता के स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है?

उत्तर: आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2(14) में सेवा के प्राप्तकर्ता के स्थान को परिभाषित किया गया है। सेवाओं का सप्लायर भारत से बाहर स्थित तब माना जाता है यदि उसके व्यापार का स्थान जहां वह सेवाएं प्राप्त करता है, भारत से बाहर है या यदि उसके व्यापार का कोई स्थान नहीं है तो उसके निवास का सामान्य स्थान भारत से बाहर स्थित है।

प्र. 10. क्या मैं रिवर्स चार्ज पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हूँ भले ही मैंने जीएसटी के तहत पंजीकृत अपनी फर्म में उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर को विदेशी सप्लायर से भारतीय रूपए में भुगतान कर खरीदा है?

उत्तर: हां, आप जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। एक सप्लाई को तब सेवा का निर्यात माना जाता है यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है:

1) सेवा का सप्लायर भारत से बाहर स्थित है;
2) सेवा का प्राप्तकर्ता भारत में स्थित है; और
3) सेवा की सप्लाई का स्थान भारत में है।

ऐसी सप्लाई का स्थान वह माना जाएगा जहां फर्म (जीएसटी के तहत) पंजीकृत है और सप्लाई एकीकृत कर (आईजीएसटी) के दायरे में आयेगी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि भुगतान किस मुद्रा में किया गया था।

प्र. 11. मैं एक भारतीय कम्पनी हूं जो सॉफ्टवेयर बनाती है और इसे देश के बाहर बेचती है। मैंने यूरोप और यूएसए में सॉफ्टवेयर की सप्लाई को सुगम बनाने के लिए एक विदेशी फर्म (संबंधित पार्टी नहीं) 'सी' की सेवायें ली हैं; क्या मुझे विदेश में इस इकाई को किए गए भुगतान पर जीएसटी का भुगतान करना होगा?

उत्तर: नहीं, इस मामले में 'सी' आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(13) के अंतर्गत 'मध्यस्थ' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13(8) के संदर्भ में ऐसी मध्यस्थ सेवा की सप्लाई का स्थान सप्लायर का स्थान है। चूंकि 'सी' भारत से बाहर स्थित है, इसलिए ऐसे मामले में जीएसटी देय नहीं है।

प्र. 12. क्या कारक 'सी' (प्रश्न 11 में) के स्थान का भारत के बाहर होने का निर्धारण करते हैं?

उत्तर: आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(15) के अनुसार सेवा प्रदाता के स्थान का निर्धारण अनुक्रमित रूप से निम्नलिखित चरणों का पालन करके निर्धारित किया जाता है:

1) जहां सप्लाई व्यवसाय के ऐसे स्थान से की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, इस तरह के व्यवसाय का स्थान;
2) जहां सप्लाई व्यवसाय के ऐसे स्थान (अन्यत्र एक निश्चित प्रतिष्ठान), से की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त नहीं किया गया है इस तरह के निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान;
3) जहां सप्लाई एक से अधिक प्रतिष्ठानों से की जाती है, चाहे व्यवसाय का स्थान या निश्चित प्रतिष्ठान, तब सप्लाई के साथ सीधे जुड़ा स्थान; और
4) ऐसे स्थान की अनुपस्थिति में, सप्लायर के सामान्य निवास स्थान।

'सी' के स्थान का निर्धारण (2) या (3) या जैसा भी मामला हो, (4) से मापदंडों को लागू करके निर्धारित किया जाना है।

प्र. 13. मैं एक विदेशी आईटी/आईटीईएस प्रदाता (प्रिंसिपल भारत के बाहर स्थित) का भारत में एजेंट हूँ। एजेंसी सेवाओं के लिए मैं परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्रिंसिपल की बिलिंग करता हूँ। क्या इस मामले में जीएसटी देयता लागू होती है?

उत्तर: आप एक मध्यस्थ हैं और आपके द्वारा प्रिंसिपल को उपलब्ध कराई गई सेवा की सप्लाई का स्थान भारत में है, चाहे भुगतान की पद्धति जो भी हो।

प्र. 14. मेरे पास विभिन्न राज्यों में एक से अधिक एसईजेड यूनिटें हैं; क्या मुझे अलग–अलग पंजीकरण कराना होगा? इसके साथ ही मेरे पास एक ही राज्य में दो एसईजेड यूनिटें हैं। क्या मैं एक एकल पंजीकरण करा सकता हूँ?

उत्तर:
1) हां, जीएसटी के तहत प्रत्येक इकाई जो कराधेय है और सप्लाई करती है, उस राज्य में जीएसटी पंजीकरण करायेगी। तथापि, राज्य के भीतर, चाहे एक एसईजेड या एक से अधिक एसईजेड स्थित है, सभी एसईजेड यूनिटों के लिए एकल पंजीकरण किया जा सकता है।
2) एक व्यक्ति जिसके पास एसईजेड में, इकाई के अलावा राज्य में एसईजेड के बाहर इकाई(याँ) हैं, उसे उस राज्य में एसईजेड से बाहर स्थित अपनी अन्य इकाइयों से अलग व्यवसाय वर्टिकल के रूप में और एसईजेड इकाइ(यों) के लिए अलग आवेदन करना होगा। (सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 8(1) को देखें)।

प्र. 15. मेरे पास डीटीए में एक इकाई और एसईजेड में दूसरी इकाई है; क्या मैं सामान्य पंजीकरण करा सकता हूँ?

उत्तर: नहीं। एक व्यक्ति जिसके पास विशेष आर्थिक जोन के साथ ही एक राज्य में एसईजेड के बाहर इकाई(याँ) हैं, उसे उस राज्य में विशेष आर्थिक जोन से बाहर स्थित अपनी अन्य इकाइयों से अलग व्यवसाय वर्टिकल के रूप में एसईजेड इकाई(यों) के लिए अलग आवेदन करना होगा। (सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 8(1) को देखें)।

प्र. 16. अगर मैं अपने ग्राहकों को लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग सप्लाई करता हूँ तो उस पर किस दर से कर लगेगा?

उत्तर: अगर लैपटॉप बैग की सप्लाई सामान्य व्यवसाय के तौर पर लैपटॉप के साथ की जाती है, तो प्रमुख सप्लाई लैपटॉप की मानी जाएगी और बैग को सहायक सप्लाई माना जाएगा। इसलिए, यह एक कंपोजिट सप्लाई है और ऐसे में लैपटॉप पर लागू की गयी दर ही बैग पर भी लगेगी।

प्र. 17. मैं विदेश की कंपनी से इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डाटाबेस प्राप्त कर रहा हूँ तो क्या मुझे रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करना होगा?

उत्तर: प्राप्तकर्ता अगर पंजीकृत है तो उसे रिवर्स चार्ज के आधार पर लागू आईजीएसटी देना होगा। अगर प्राप्तकर्ता पंजीकृत नहीं है, तो इस मामले को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस एक्सेस या रिट्राइवल सेवा (ओआईडीएआर) माना जाएगा और ओआईडीएआर सेवा प्रदाता को पंजीकृत करना होगा और कर देना होगा।

प्र. 18. ये कब माना जायेगा कि मैं बौद्धिक संपदा के उपयोग की अनुमति या अस्थाई स्थानांतरण की सेवा की सप्लाई कर रहा हूँ?

उत्तर: सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑथर या पब्लिशर और एप्लीकेशन के उपयोगकर्ता के बीच सामान्यतः एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट (ईयूएलए) एक वैधानिक समझौता होता है। जिसके अनुसार एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है यह समझौता नवीकरणीय होता है और/या समय–समय पर संशोधित किया जा सकता है। जब ग्राहक को सॉफ्टवेयर दिया गया तो क्या उसमें सप्लाई का कोई तत्व शामिल है या नहीं, यह ईयूएलए के नियम व शर्तों से तय होगा। यह तय करने के लिए कि भौतिक संपदा के उपयोग की अनुमति या अस्थाई स्थानांतरण हुआ है कि नहीं। सप्लाई का अनुबंध महत्वपूर्ण है।

प्र. 19. एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज़ के संदर्भ में जीएसटी में किस तरह के विशेष प्रावधान हैं?

उत्तर: कोई उद्यम जो एक या एक से अधिक मध्यस्थों के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दूसरे उद्यम के प्रबंधन, पूंजी या नियंत्रण में शामिल होता है तो संबद्ध उद्यम कहलाता है। जीएसटी के संदर्भ में एसोसिएटेड एन्टरप्राइजेज़ विशेष तौर पर उन सेवाओं की सप्लाई के मामले में प्रासंगिक होता है, जिसमें सप्लायर भारत के बाहर स्थित है। इस तरह के मामलों में, सप्लाई का समय सप्लाई के प्राप्तकर्ता की एकाउंट बुक में एंट्री की तारीख या भुगतान की तारीख जो भी पहले हो, को माना जाएगा–इस तरह संबद्ध उद्यमों में इस तरह की बुक एंट्री होते ही जीएसटी लगेगा, चाहे वास्तविक भुगतान नहीं किया गया हो या इनवायस जारी नहीं किया गया हो।

प्र. 20. किसी वारंटी के तहत पार्ट्स को बदलने (ग्राहकों से किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है) पर क्या कर लगेगा और अगर सप्लायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट लौटाने की आवश्यता होती है, तो क्या स्थिति होगी?

उत्तर: जब पार्ट्स वारंटी के अंतर्गत बिना ग्राहकों से क्षतिपूर्ति लिए बदले जाते हैं, तो इस तरह के प्रतिस्थापन के लिए कोई जीएसटी नहीं लगता है। मूल सप्लाई के समय लिये गये मूल्य में वारंटी के दौरान होने वाले कार्यों के चार्ज सम्मिलित होते है। इसलिए, जो सप्लायर वारंटी में रिप्लेसमेंट करते हैं, उनके लिए बदले गए पार्ट्स या सामानों के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लौटाने की आवश्यकता नहीं है।

प्र. 21. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के पास वारंटी पीरियड में ग्राहकों को रिपेयर सेवा देने की बाध्यता होती है। ओईएम इस तरह की गतिविधियां 'डी' से आउटसोर्स करता है, जो ग्राहकों को दी गई सेवा के लिए ओईएम को बिल देता है। 'डी' के ऊपर टैक्स की क्या जिम्मेदारी है?

उत्तर: 'डी' ओईएम को सेवा प्रदान कर रहा है। 'डी' द्वारा ओईएम को की गई किसी भी सप्लाई के मूल्य पर जीएसटी लगाया जाएगा यानी 'डी' द्वारा ओईएम को दिए गए बिल के संदर्भ में जीएसटी लगेगा।

प्र. 22. डाउनस्ट्रीम रिपेयरिंग सेंटर से खराब (बेकार) पार्ट्स को रिपेयरिंग के लिए मदर वेयरहाउस/रिपेयरिंग सेंटर को कैसे भेजा जाएगा? इस पर कर देयता क्या है?

उत्तर: खराब पार्ट्स को डिलिवरी चालान पर ई–वे बिल के साथ, जैसा कि निर्दिष्ट हो सकता है, रिपेयर के लिए भेजा जाएगा। जीएसटी रिपेयर राशि पर लगाया जाएगा, जिसमें पार्ट्स की कीमत, रिपेयरिंग सेंटर का चार्ज भी शामिल होगा।

प्र. 23. उस परिदृश्य में कर देयता क्या है जहां एक अनुबंध के अंतर्गत सप्लायर के विभिन्न स्थानों (अलग–अलग राज्यों में) से प्राप्तकर्ता को सप्लाई की जाती है?

उत्तर: एक संपूर्ण अनुबंध के लिए विभिन्न स्थानों से सेवाओं की डिलिवरी और एकीकृत मूल्य निर्धारण आईटी/आईटीईएस उद्योग में सामान्य है। अमूमन प्राप्तकर्ता के साथ अनुबंध या समझौता एक शाखा के द्वारा किया जाता है (जिसे हम ''मुख्य शाखा'' कह सकते हैं)। इसलिए, सप्लायर की विभिन्न स्थानों से प्राप्तकर्ता को सेवा डिलिवरी जैसे मामलों में, सप्लाई को दो अलग–अलग सप्लाई माना जा सकता है। पहली सप्लाई– अलग–अलग राज्यों में स्थित सप्लायर की विभिन्न शाखाएं मुख्य शाखा को सप्लाई कर रही हैं, जो ऐसी सेवाओं की सप्लाई के लिए प्राप्तकर्ता के साथ अनुबंध या समझौते में हैं। दूसरी सप्लाई– मुख्य शाखा ग्राहक को सप्लाई कर रही है। जीएसटी इसी के अनुसार लगाया जाएगा। ऐसे परिदृश्य में, मुख्य शाखा को अन्य शाखाओं द्वारा की गई सप्लाई पर भुगतान किए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होगा।

प्र. 24. पिछले सवाल में जिस परिदृश्य की परिकल्पना की गई थी, उसमें मुख्य शाखा को अन्य शाखाओं द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी के आईटीसी का हकदार होना चाहिए। इसलिए, यह एक राजस्व तटस्थ स्थिति है। ऐसी सेवाओं के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश क्या हैं?

उत्तर: सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 28 के अनुसार जहां प्राप्तकर्ता पूरे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए योग्य है, इनवायस में घोषित मूल्य माल या सेवा का ओपन मार्केट वैल्यू माना जाएगा।

प्र. 25. क्या माल/सेवाओं के आयात पर रिवर्स चार्ज के आधार पर आईजीएसटी का भुगतान बुक एंट्री या आईटीसी के द्वारा किया जा सकता है।

उत्तर: नहीं, रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी का भुगतान केवल नगद के जरिए हो सकता है। सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 85(4) को देखें।

प्र. 26. क्या आईएसडी मैकेनिज्म के माध्यम से क्रेडिट स्थानांतरण की आवश्यकता अनिवार्य है?

उत्तर: सीजीएसटी नियम, 2017 के अंतर्गत आईएसडी प्रावधान अनिवार्य नहीं है। यह केवल आईटीसी के वितरण का तरीका प्रदान करता है, जहां व्यवसायिक संस्थाएं इनपुट सेवा वितरक की तरह आईटीसी वितरित करती हैं।

प्र. 27. जीएसटी के रिवर्स चार्ज के मामले में जारी किए गए इनवायस का प्रारूप क्या है?

उत्तर: सेल्फ–इनवायसिंग सहित किसी भी तरह की इनवायसिंग के लिए अलग से किसी प्रारूप का निर्देश नहीं दिया गया है। इनवायस का विवरण सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46 के तहत दिया गया है।

प्र. 28. मैं मुंबई में पंजीकृत सॉफ्टवेयर प्रदाता हूँ। मैं बेंगलूरू के अपने ग्राहकों को सॉफ्टवेयर सप्लाई करता हूँ, क्या मुझे कर्नाटक में पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी?

उत्तर: नहीं। सप्लाई को अंतरराज्यिक सप्लाई समझा जाएगा और इस पर आईजीएसटी लगाया जाएगा।

प्र. 29. मैं सेवाओं का एक निर्यातक हूँ। क्या मैं 1 जुलाई के बाद रिफंड का हकदार हूँ?

उत्तर: 30 जून, 2017 तक के निर्यात के लिए वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के प्रावधानों के तहत रिफंड का दावा किया जा सकता है। 1 जुलाई और उसके बाद किया गया निर्यात जीएसटी कानून के तहत रिफंड के योग्य होगा।

नोटः **जहां पर भी सीजीएसटी अधिनियम, 2017 का उल्लेख है, वह एसजीएसटी अधिनियम, 2017 और यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 के लिए भी लागू है। जहां पर भी सीजीएसटी नियम 2017 का उल्लेख है, वह एसजीएसटी नियम, 2017 के लिए भी लागू है।**

डिस्क्लेमरः उपरोक्त उत्तर केवल शैक्षणिक और मार्गदर्शन के उद्देश्य हेतु हैं तथा इनकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

davp 15502/13/0198/1718